

दिल्ली विधानसभा की 'शांति एवं सद्भाव समिति' की न्यायसंगतता

प्रिलिम्स के लिये

संविधान की 7वीं अनुसूची

मेन्स के लिये

केंद्र-राज्य के बीच शक्ति विभाजन संबंधी प्रावधान और इससे उत्पन्न मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) (SC) ने अपने नरिणय में फरवरी 2020 की सांप्रदायिक हिसा के सलिसल्लि में फेसबुक इंडिया के वरषिठ अधकिकारी को तलब करने के दिल्ली विधानसभा की 'शांति एवं सद्भाव समिति' के अधकिकार को बरकरार रखा है।

प्रमुख बदि

केंद्र सरकार और फेसबुक का दावा:

- केंद्र सरकार और फेसबुक के मुताबकि, चूँकि कानून-व्यवस्था तथा दिल्ली पुलिस केंद्रीय वषिय है, ऐसे में 'शांति एवं सद्भाव समिति' का गठन दिल्ली विधानसभा के अधकिकार कषेत्र में नहीं है।

दिल्ली सरकार का पक्ष

- दिल्ली विधानसभा ने राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल वभिन्न प्रवषिटियों का उपयोग कथिया था, जनिके तहत दिल्ली विधानसभा को इस मुद्दे पर चर्चा करने तथा बहस करने की शक्ति प्रापत हुई है।
 - दिल्ली विधानसभा ने राज्य सूची में प्रवषिटि-1 का हवाला दथिया, जो कि 'सार्वजनिक व्यवस्था' से संबंधित है और कानून-व्यवस्था से अलग है, साथ ही इस मामले में समवर्ती सूची की प्रवषिटि-1 को भी आधार बनाया गया है, जो राज्य विधानसभाओं को 'आपराधिक कानून' वषिय पर कानून बनाने की व्यापक शक्ति देती है।
 - इसके अलावा दिल्ली विधानसभा ने राज्य सूची की प्रवषिटि-39 का भी उपयोग कथिया है, जो कि विधानसभाओं को बयान दर्ज करने के उद्देश्य से गवाहों की उपस्थिति को अनविर्य बनाने की शक्ति प्रदान करती है।

सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय

- फेसबुक के तर्क को अस्वीकृति:**
 - न्यायालय ने फेसबुक द्वारा अपनाए गए इस दृषटिकोण को पूरणत: खारजि कर दथिया कि वह केवल तीसरे पक्ष की जानकारी पोस्ट करने वाला एक मंच है और उस जानकारी को उत्पन्न करने, नरियंत्रति करने या संशोधति करने में इसकी कोई भूमिका नहीं है।
 - न्यायालय के अनुसार, फेसबुक दिल्ली विधानसभा द्वारा गठित 'शांति एवं सद्भाव समिति' के समक्ष उपस्थिति होने से बचने के लिये कसि भी 'असाधारण वषिषाधिकार' का दावा नहीं कर सकता है।
- समति की शक्तियाँ:**
 - अपने नरिवाचन कषेत्र में ऑनलाइन सामूहिक घृणा और हसिा से नपिटने के सर्वोत्तम उपायों पर विधानसभा के नरिवाचति प्रतनिधियों द्वारा की गई 'सुवजिज मंत्रणा' (Informed Deliberation) काफी हद तक समति की कारयनरिवाह कषमता के अनुरूप थी।
 - हालाँकि समति के समक्ष उपस्थिति होने वाले फेसबुक प्रतनिधियों को कानून-व्यवस्था और पुलिस के वषिय में सीधे समति के कसि भी प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे वषिय हैं जिनि पर दिल्ली विधानसभा कानून नहीं बना सकती है।
- विधानसभा की शक्ति:**
 - न्यायालय ने फेसबुक के इस तर्क को खारजि कर दथिया कि विधानसभा को दंगों की परस्थितियों की जाँच करने के बजाय स्वयं को कानून बनाने तक सीमति रखना चाहिये।

- वधानसभा न केवल कानून बनाने का कार्य करती है बल्कि शासन के कई अन्य पहलू भी हैं जो वधानसभा और समिति के आवश्यक कार्यों का हिसा बन सकते हैं।
 - वधायी विशेषाधिकार अपने वधायी कार्यों के प्रभावी नरिवहन के लिये वधायिका से संबंधित अधिकार हैं।
 - भारतीय संवधान का **अनुच्छेद 105** और **अनुच्छेद 194** क्रमशः संसद सदस्यों (सांसदों) और राज्य वधानसभाओं की शक्तियों, विशेषाधिकारों तथा उनमुक्तियों को नरिधारित करते हैं।
- शांति और सद्भाव की अवधारणा कानून-व्यवस्था तथा पुलिस की तुलना में अधिक व्यापक है।
- **दोहरा शासन:**
 - केंद्र और दलिली सरकार को राजधानी क्षेत्र में शासन के मुद्दों पर मलिकर काम करना चाहिये तथा अपने स्तर पर परपिक्वता दखिाने की ज़रूरत है।
 - सोशल मीडिया कंपनी (फेसबुक) ने "दृष्टिकोण के वचिलन" और केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों की "दलिली में शासन के मुद्दों पर नजर रखने" की अकषमता का लाभ उठाने की मांग की।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दलिली के दोहरे प्रशासन, जिसमें केंद्र सरकार को कई प्रमुख क्षेत्रों में विशेषाधिकार प्राप्त है, ने केंद्र और राज्य दोनों में सत्ता में वभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के साथ कई वर्षों तक अच्छा काम किया है।

वधायी शक्तियों में अंतर करने के लिये सूचियाँ:

- तीन ऐसी सूचियाँ हैं जो वधायी शक्तियों के वतिरण का प्रावधान करती हैं (संवधान की 7वीं अनुसूची के तहत):
 - **संघ सूची (सूची I)**- इसमें 98 वषिय (मूल रूप से 97) शामिल हैं और इसमें वे वषिय शामिल होते हैं जो राष्ट्रीय महत्त्व के हैं तथा जनिके लिये पूरे देश में समान कानून है।
 - इन मामलों के संबंध में केवल केंद्रीय संसद ही कानून बना सकती है, उदाहरण के लिये- रक्षा, वदिश मामले, बैंकिंग, मुद्रा, संघ कर आदि।
 - **राज्य सूची (सूची II)**- इसमें 59 वषिय (मूल रूप से 66) हैं और इसमें स्थानीय या राज्य हति के वषिय शामिल हैं।
 - ये वषिय राज्य वधानमंडलों की वधायी क्षमता के अंतरगत आते हैं। जैसे- लोक व्यवस्था, पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि और वन आदि।
 - **समवर्ती सूची (सूची-III)**- इसमें 52 (मूल रूप से 47) वषिय हैं जनिके संबंध में केंद्रीय संसद और राज्य वधानमंडल दोनों के पास कानून बनाने की शक्ति है। समवर्ती सूची का उद्देश्य अत्यधिक कठोरता से बचने के लिये वषियों को केंद्र एवं राज्य दोनों को एक उपकरण के रूप में प्रदान करना था।
 - यह एक 'द्वलिाइट ज़ोन' है, क्योंकि महत्त्वपूर्ण मामलों के लिये राज्य पहल नहीं कर सकते हैं, जबकि संसद ऐसा कर सकती है।

आगे की राह:

- सोशल मीडिया पर किसी भी वषिय के संबंध में गलत सूचनाओं का सीधा प्रभाव उस वशाल क्षेत्र पर पड़ता है जो अंततः राज्यों के शासन को प्रभावित करता है।
- जैसा कि न्यायालय ने पाया शांति और सद्भाव समिति अभी भी केंद्र के अधिकारों पर अतिक्रमण किये बिना फेसबुक अधिकारी को बुला सकती है, यह अब अन्य राज्यों के लिये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जाँच के द्वार खोलती है।

स्रोत: द हट्टू